न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 32 / 2021 (उदयपुर डिक्री)

1. हीरालाल पिता हमेरा जी मेघवाल, निवासी गोदाणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती दाखी पत्नी वालुराम जी मेघवाल, निवासी मादडी, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती भमरी पत्नी अमृतलाल जी मेघवाल, निवासी पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती गणे ाी पत्नी कालूलाल जी मेघवाल, निवासी कोल्यारी, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नाथू उर्फ नाथा पिता रामा जी मेघवाल (मृतक के बजाय) :–

1/1. श्रीमती भुरीबाई पत्नी स्वर्गीय नाथू उर्फ नाथा जी मेघवाल, निवासी गोदाणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. नन्दलाल पिता स्वर्गीय नाथू उर्फ नाथा जी मेघवाल, निवासी गोदाणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. प्रभूलाल पिता स्वर्गीय नाथू उर्फ नाथा जी मेघवाल, निवासी गोदाणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री स्वर्गीय नाथू उर्फ नाथा जी पत्नी पन्नालाल जी मेघवाल, निवासी ओगणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी झाडोल
दिनांक 03.03.2021 प्र.सं. 101/2011

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री सुरे ाचन्द्र त्रिवेदी अभिभाशक अपीलान्टगण
2– श्री मनीश भार्मा अभिभाशक रेस्पो.सं. 1/1 से 1/4
3– श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाशक रे.सं.2

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 05–10–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वाराएक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 63(4), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गणे ापुरा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 425, 432, 435 से 439, 492 से 494, 497 से 501, 623/424, 425/490 कुल किता 17 रकबा 1.2100 हैक्टर भूमि मौजा गोदाणा में स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 235, 236, 239, 240, 241 किता 5 रकबा सवा 8 बीघा 1 बिस्वा थे। इसी प्रकार मौजा गोदाणा में आराजी नंबर 788 व 1022 किता 2 रकबा 0.1200 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1024, 545 किता 2 रकबा 14 बिस्वा थे। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूश रामा पिता कसना जी थे। रामा के दो पुत्र हमेरा व नाथू प्रतिवादी संख्या 1 हुए। हमेरा फोत होकर वादीगण उसके वारिस हैं। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादीगण का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर पक्षकारा इसी अनुसार काबिज होकर का त करते चले आ रहे हैं, किन्तु वक्त सेटलमेन्ट भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी, जो वादीगण के मुकाबले भून्य व बेअसर है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे एवं वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोशित किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण का कोई हित व अधिकार नहीं है, न ही वादीगण का कभी कब्जा रहा है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाकर वादीगण को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के आगे बलाई भाब्द है, जिसमे स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जावे तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 के काउण्टर क्लेम का जवाबुल जवाब वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 13 तनकियां कायम की गयी एवं अपने निर्णय दिनांक 03–03–2021 से वादीगण का घोशणा का दावा अस्वीकार कर विभाजन का वाद आंि ाक रूप से स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से वकील मनीश भार्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपील ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्यों का अध्ययन नहीं किया है। पी.डब्ल्यू. 2 से 5 के बयानों से विवादित आराजियात मौरूसी होना साबित है। सर्वप्रथम पैमाई ा संवत् 2011 में हुई इसके पूर्व कोई पैमाई ा नहीं हुई, इस कारण इसके पूर्व का राजस्व रेकार्ड संधारित नहीं होने से रामा पिता कसना के नाम की खातेदारी की जमाबन्दी उपलब्ध नहीं थी। प्रद र्ि 3ए लिखतम प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा हमेरा के पक्ष में किया गया है। प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 2011 में दोनों भाई हमेरा व नाथा भाामिल सरीक का त कर रहे थे। हमेरा व रामा की भाादी के बाद दोनों भाई अलग होकर 1/2, 1/2 हिस्से पर पृथक काबिज होकर का त कर रहे थे, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्टगण को विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोशित किया जाकर स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय की

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:29 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर स्टाम्प पर एक लिखतम प्रद र्ा 3ए संलग्न है, जिसमें स्वयं रेस्पोन्डेन्ट नाथू ने अपने भाई हमेरा का विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा होने का कथन किया है एवं इस दस्तावेज को लिखने वाले को बयानों में प्रस्तुत कर लिखतम को साबित कराया है। स्वयं प्रतिवादी के बयानों से साबित होना है कि विवादित समस्त आराजियात मौरूसी होकर पैमाई ा के समय गणे ापुरा की जमीन कर्णसिंह ने रेस्पोन्डेन्ट के खाते करायी है। अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि तनकीवार विस्तृत विवेचन किया है, किन्तु गणे ापुरा की जमीन बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने के कारण अपीलान्ट का घोशणात्मक वाद खारिज है, जो उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से त्रुटि पूर्ण प्रतीत होता है। हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के काउण्टर क्लेम के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृश्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–03–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेशित की जाकर निर्दे ित किया जाता है कि प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए वादी के घोशणात्मक एवं निशेधाज्ञा के वाद तथा प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम बाबत् पक्षकारों को पुनः सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–11–2021 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:29 IST
Reason: SelfAttested